International Journal of Educational Research and Development
www.allinnovationjournal.com
Online ISSN: 2664-7095, Print ISSN: 2664-7087
Received: 12-06-2024, Accepted: 06-07-2024, Published: 29-07-2024
Volume 6, Issue 3, 2024, Page No. 65-68

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

विजय प्रकाश यादव[1], प्रो. बी० आर० कुकरेती[2], डॉ. सुबाष चन्द्र[3]
[1] शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
[2] प्रोफ़ेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
[3] सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, टप्पल, अलीगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन मेंशोधकर्ता ने आजमगढ़ व मऊ जनपद महिलाओं केसंवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकताका अध्ययन किया है। इस शोध में प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में 720 महिलाओं का चयन किया गया, जिनमें से आजमगढ़ व मऊ जनपद के 50% शहरी और 50% ग्रामीण महिलाओं तथा 50% एकल परिवार व 50% संयुक्त परिवार की महिलाओंका चयन किया गया। शोधकर्ता ने आंकड़ों की व्याख्या के लिए माध्य, मानक विचलन और टी–परीक्षण का उपयोग किया। यह अध्ययन वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के स्तर एवं उसके प्रभाव को जानने में सहायक है; यह ग्रामीण,शहरी और नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के साथ –साथ एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर और उनके बीच संबंध को जानने में भी सहायक है।

मूल शब्द: संवैधानिक मूल्य, महिलाजागरूकता

प्रस्तावना
वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति या दशा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती रही है। भिन्न–भिन्न कालोंमें उसकी भित्र महत्ता स्थापित की गई। बौद्धिक व औद्योगिक क्रांति के इस नए दौर में महिलाओं की महत्ता स्वीकृत की जाने लगी है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पारिवारिक संस्था व्यक्तिपरक न होकर समूहपरक है। विभिन्न परिवेशों व आयामों में स्त्री–पुरूष सामूहिक शक्ति की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं इसलिए परिवर्तित राजनैतिक संस्कृति में भारतीय महिला को अपने मताधिकार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 । प्रवृत भारतीय संविधान में महिला–पुरूष को समान अधिकार दिए गए है। जिस तरह से भारत सबसे तेजी आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में महिलाएँ सैकड़ों वर्षों से शोषित होती रही हैं। बालविवाह, मादा भ्रूण हत्या, दहेज–प्रथा, सती–प्रथा, मंदिरों में दासी प्रथा आदि ने उनकी स्थिति को काफी बदतर बनाया एक विधवा को समाज में सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी एक स्त्री को उसके परिवार की इच्छाओं से परे जाने का अधिकार नहीं था। इस देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कमजोर भी समझा जाता है। नारियों के साथ समाज में कई लोगो ने अपने गलत दृष्टिकोण के कारण, दुर्वयवहार भी किया। आज भी कई घरो में लड़के को वंश का चिराग माना जाता है और लड़की को बोझ माना जाता है। प्राचीन समय में लोग समझते थे, की लड़की तो विवाह करके चली जायेगी और लड़के खानदान का नाम रोशन करेंगे और वंश को आगे बढ़ाएंगे। नारी को पराया धन समझा जाता है। लड़का–लड़की में भेद भाव भी किया जाता है। लड़को को हर मामले में छूट है और शिक्षा पर उनका ज्यादा अधिकार होता है। लड़कियों को घर का काम काज करना सिखाया जाता है तब लोगो की सोच थी कि लड़कियां पढ़ लिखकर क्या करेगी, उन्हें तो शादी करके रसोई संभालना है परंतु अब समय बदल रहा है। हमलोगों ने भारत में महिलाओं की स्थिति में यथेष्ट विकास होते देखा है वे अध्ययन और अपनी जीविका के चयन के लिए स्वतंत्र हैं वे एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही हैं। हमलोग महिला चिकित्सक, अभियंता, वैज्ञानिक, पायलट, व्यवसाय– प्रमुख, शिक्षिका आदि को देखते हैं। महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे सभी क्षेत्रों में बेहतर कर सकती हैं। वे घर के साथ–साथ कार्यालयों में भी उपयुक्त हैं। कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं ने अपने को पुरुषों से ज्यादा सक्षम साबित किया है। दुनियाभर में हो रहे बदलावों, जागरूकता, शिक्षा एवं समय–समय पर दुनियाभर में हुए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के साथ दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की बात शुरू हुई जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा सदियों से लेकर आज तक महिला के अधिकारों को संस्थागत, कानूनी एवं स्थानीय रीति–रिवाजों द्वारा अत्यधिक समर्थन मिला और देखते ही देखते महिलाओं को हर स्तर पर एक पहचान मिलने लगी और आज हमारे देश में महिलाओ को कानून के तहत विभिन्न अधिकार प्रदान किये गए है ।

सम्बंधित साहित्त्य का अध्ययन: प्रस्तुत शोध समस्या से सम्बन्धित कुछ प्रमुख साहित्त्य का सर्वेक्षण निम्न प्रकार से है

द्विवेदी रमेश (2013), महिलाएं एवं मानवाधिकार: संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान। वर्तमान समाज अर्थवाद का दास सा बनता जा रहा है जहाँ संपत्ति संग्रह की अनियमितता को अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद से सत्तावाद, संपत्तिवाद, विलासितावाद तथा भोगवाद की ओर बढ़ रहा है वहां पर आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नहीं है। महिलाओं के अधिकारों के हनन के विविध तरीके हैं, जिसमे महिलाओं के साथ ही अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरुषों द्वारा अधिकारों का हनन की शिकार रही है और आज भी है।

सतपथी प्रीति (2014), महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार विश्लेषणात्मक अध्ययन स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए है। आजादी के 64 वर्षो के पश्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये अधिनियमों की

विवेचना करते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाये गये हैं। किन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी उनकों नहीं मिल पाती, यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को पता ही नहीं हो पाता कि उनके कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने हेतु बनाए गएअधिकारों की विवेचना की गई है।

सिंघल विपिन (2014),महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षण एक विश्लेषणात्मक अध्ययन | महिलाओ के अधिकार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे है, एवं महिलाएं भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है. परन्तु इस सबके बावजूद स्थिति विपरीत बनी हुई है महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओ को अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षित किया जाना जरुरी है। दूसरे, आर्थिक स्वतंत्रतारू तीसरे कानून एवं धर्म के अधीन महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। चौथे उन्हें सरकार के हर स्तर पर उपयुक्त स्थान / भागीदारी मिलनी चाहिए।

शोध अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध समस्या के निम्लिखित उद्देश्य है –

1. शहरी व ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
2. एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना ।
3. विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
4. नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना: प्रस्तुत शोध की परिकल्पना अग्रलिखित है

1. शहरी व ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन की आवश्कता :

आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। घर हो या कार्यस्थल महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं खड़ी हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। घर हो या बाहर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, लेकिन ऐसी कई वजहें भी हैं, जिनकी वजह से उन्हें पुरुषों की तुलना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत की ही बात करें तो यहां हर मिनट एक महिला अपराध का शिकार होती है। फिर चाहे वो अपने घर पर हो, ऑफिस या फिर पब्लिक प्लेस पर, उनकी सुरक्षा पर हमेशा सवाल खड़ा होता है।महिलाओं को घरेलू हिंसा, लिंग भेद और महिला उत्पीड़न आदि जैसी सभी परेशानियों से उन्हें गुज़रना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने हित के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी रखें, ताकि किसी भी तरह की प्रताड़ना को न सहना पड़े और उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें । उपयुक्त विषयों को मद्देनजर रखते हुये शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए इस विषय का चयन किया ।

शोध विधि: प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन के लिए शोधकर्त्ता द्वारा विवरणात्मकसर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं ।

जनसंख्या वर्तमान भारतीय परिदृश्य में महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों का अध्ययन के लिए जनसंख्या के रूप में आजमगढ़ व मऊ जनपद की महिलाओं को लिया गया है।

न्यायदर्श एवं न्यादर्शन प्रविधि: प्रस्तुत अध्ययन मेंप्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक प्रविधि से किया गया है ।न्यादर्श के रूप में आजमगढ़ व मऊ जनपद के 300 महिलाओं का चयन किया गया है जिनमें 50 % शहरी और 50%ग्रामीण महिलाओं तथा 50 % एकल परिवार व 50 % संयुक्त परिवार की महिलाओंका चयन किया गया ।

शोध उपकरण: प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता द्वारा संवैधानिक मूल्य अनुसूची के रूप में मानकीकृत अनुसूची का प्रयोग किया है , जिसका विकास डॉ.सोमू सिंह, सहायक प्राध्यापक ,शिक्षा शास्त्र विभाग ,काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है ।

सांख्यकीय विश्लेषण: शोधकर्ता आकड़ों के संकलन के पश्चात उसका व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए मध्यमान (Mean) एवं मानक विचलन (Standard Deviation) व टी – परीक्षण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया है ।

अध्ययन का सीमांकन: शोधकर्ता की श्रम , समय एवं संसाधन की सीमाओ को ध्यान में रखते हुये। प्रस्तुत शोध समस्या का सीमांकन इस प्रकार से किया है –

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल आजमगढ़ व मऊ जनपद तक सीमित किया गया है ।
2. प्रस्तुत अध्ययन केवल महिलाओं तक सीमित किया गया है ।
3. प्रस्तुत अध्ययन केवल महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों तक सीमित किया गया है ।

आँकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या

परिकल्पना परीक्षण: 01

- शहरी व ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: शहरी व ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।

	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी महिलाएं	360	140.38	47.028	1.0556	718	0.3073	0.05
ग्रामीण महिलाएं	360	141.45	45.02				

उपर्युक्त सारणी में शहरी महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 140.38 है तथा ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 141.45 है तथा शहरी महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 47.028 और ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 45.02 है, इनका क्रांतिक अनुपात मान 0.3073 है जो की सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक होने के लिए सार्थकता मान 1.96 होना अनिवार्य है, जबकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 2.66473 है जो इससे काफी कम है अतः दोनों समूह शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, अतः हमारी यह शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

परिकल्पना परीक्षण: 02

- एकल परिवार व संयुक्त परिवार की महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–02 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2: एकल एवं संयुक्त परिवार की महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
एकल परिवार कीमहिलाएं	360	155.2	41.62	13.43056	718	4.191323	0.01
संयुक्त परिवार की महिलाएं	360	141.7	44.2				

उपरोक्त सारणी में एकल परिवार की महिलाओं का मध्यमान 155. 2 है और संयुक्त परिवार की महिलाओं का माध्यम 141.7 है तथा एकल परिवार की महिलाओं का प्रमाणिक विचलन 41.62 है, और संयुक्त परिवार की महिलाओं का प्रमाणिक विचलन 44. 2 है, तथा क्रांतिक अनुपात 4.191323 है जो की सार्थकता स्तर 0.01 के सार्थकता मान 2.58 के मान से बहुत अधिक है जिससे स्पष्ट है कि एकल परिवार की महिलाएं संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में संवैधानिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक पाई गई, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि एकल परिवार की महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर होती है जिससे वे सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर अधिक जागरूक होती है, तथा संयुक्त परिवार की महिलाएं परंपरागत सोच निर्णय लेने लेने की सीमाएं और घरेलू जिम्मेदारियां उनकी वाह्य जागरूकता को सीमित करती हैं इस प्रकार हमारी यह शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है।

परिकल्पना परीक्षण : 03

- विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–03 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3: विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
18 से 35 वर्ष कीमहिलाएं	360	151.5	48.42	3.361111	718	0.963844	0.05
35 से 55 वर्ष की महिलाएं	360	148.5	44.95				

उपर्युक्त सारणी में 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की महिलाओं में अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 151.5 तथा 35 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं का अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 148.5 है। तथा 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु की महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 48.42 है, और 35 वर्ष से 55 वर्ष की महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 44.95 है। इनका क्रांतिक अनुपात मान 3.361 है जो की सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक होने के लिए क्रांतिक अनुपात का मान 1.96 होना अनिवार्य होता है। जबकि प्राप्त क्रांति अनुपात का मान इससे अत्यधिक कम है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूह के मध्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना परिक्षण: 04

- नौकरी करने वाले एवं गृहिणी महिलाओं के संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, माध्य, मानक विचलन और क्रांतिक अनुपात (टी–अनुपात) सांख्यिकी की गणना की गई, जिसका विवरण तालिका संख्या–03 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4: नौकरी करने वाली एवं गृहणी महिलाओं की संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।

चर	प्रतिदर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	मध्यमान का अंतर	DF	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
नौकरी करने वालीमहिलाएं	360	169.433	47.0744	29.75278	718	8.404145	0.01
गृहणीमहिलाएं	360	139.681	44.4497				

उपरोक्त सारणी संख्या –04 में नौकरी करने वाली महिलाओं का संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 169.433 है एवं ग्रहणी महिलाओं का संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का मध्यमान 139.681 है तथा नौकरी करने वाली महिलाओं का संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 47.074 है और ग्रहणी महिलाओं का संवैधानिक मूल्यों के

प्रति जागरूकता स्तर का प्रमाणिक विचलन 44.4497 है, तथा इसका क्रांतिक अनुपात का मन 8.4 04145 है जो की सार्थकता स्तर 0.01 पर सार्थक होने के लिए सार्थकता स्तर का मन 2.58 होना अनिवार्य है जबकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 4.404145 है, जो इससे काफी उच्च है इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूह के मध्य सार्थक अंतर पाया गया है, परिणाम स्वरूप हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है जिसका संभावित कारण यह हो सकता है की नौकरी करने वाली महिलाएं अधिक शिक्षित, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक सजग होती है इनका कार्य क्षेत्र गृहिणी महिलाओं तुलना में अधिक व्यापक होता है।

निष्कर्ष: प्रस्तुतअध्ययन में प्राप्त परिणामों की व्याख्या औरविश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से है

- शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं में संवैधनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- एकल परिवार की महिलाएं संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में संवैधानिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक पाई गई, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि एकल परिवार की महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर होती है जिससे वे सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर अधिक जागरूक होती है, तथा संयुक्त परिवार की महिलाएं परंपरागत सोच निर्णय लेने की सीमाएं और घरेलू जिम्मेदारियां उनकी वाह्य जागरूकता को सीमित करती हैं ।
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु एवं 35 वर्ष से 55 वर्ष की महिलाओं में अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- नौकरी करने वाली एवं ग्रहणी महिलाओं का संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता स्तर के मध्य सार्थक अंतर पाया गया है, जिसका संभावित कारण यह हो सकता है की नौकरी करने वाली महिलाएं अधिक शिक्षित, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक सजग होती है इनका कार्य क्षेत्र गृहिणी महिलाओं की तुलना में अधिक व्यापक होता है।

शैक्षिक निहितार्थ: वर्तमान अध्ययन से प्राप्त परिणामो से स्पसष्ट होता है कि

- शिक्षितमहिलाये सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक सजग होती है ।
- संयुक्त परिवार की महिलाएं परंपरागत सोच, उनकी निर्णय लेने की सीमाएं और घरेलू जिम्मेदारियां उनकी वाह्य जागरूकता को सीमित करती हैं ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. नीरा और मैत्रयी कृष्ण राज (1987) – वीमेन एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया, अजंता दिल्ली।
2. एम. के (2010) भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
3. भारतीय समाज में नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
4. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली, 41वां संस्करण।
5. आहुजा राम (1987) क्राइम अगेनस्ट वुमेन जयपुर रावत पब्लिकेशन्स ।
6. सिंह एम.पी. (2006) नारीशक्तिकरण, ग्रन्थ, पब्लिकेशन, हाउस, जयपुर।
7. सिंह दिव्या (2007) महिला विकास कार्यक्रम, लोक प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय ।
8. यादव विरेन्द्र – 21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण ओमेगा प्रकाशन।
9. तिवारी मंजूलता (2016) महिला सशक्तिकरण उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ एन इंटरनेशनल – मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च ई–जर्नल, मार्च, वाल्यूम–2 अंक – 31
10. सिंह अनुपम (2011) महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक चेतना पर प्रभाव सामाजिक शोध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
11. गुर्जर सीता (2015) महिला सशक्तिकरण (नीति, कानून एवं योजनाएं), हिमांशु पब्लिकेशन, पेज नं०–28
12. बसु डी. डी. (2001) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली: लेक्सिस बटरवर्थ बाधवा ।
13. सतपथी प्रीति (2014) महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार विश्लेषणात्मक अध्ययन।
14. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूज़ एंड रिसर्च इन सोशल साइंस (आई. जे. आर. आर.एस.एस.) पृष्ठ 144–1471
15. सिंघल विपिन (2014) महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षण एक विश्लेषणात्मक अध्ययन इंडियन कांउसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (आइ.सी.एस.एस.आर.) ।